

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

2/24

पत्रावली में हुई। उपर पत्रावली से संबंधित मुक्त
उक्त अदालत सार्वभौमिक अदालत के आदेश
किया गया है। अतः उपर पत्रावली का
कोई अर्थ नहीं है। अतः उपर पत्रावली
के की जा रही कार्यवाही इसी स्तर पर रोक
की जाती है। पत्रावली केसल मुक्त होकर अदालत
से कम हो जाते नकलीय आदेश इफ्तार हो।

सहायक कलक्टर
उच्चैज (परातपुर)